कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

कमांक 496 /आउशि/सेमेस्टर प्र/08 भोपाल,दिनांक 1/12/08

प्रति,

1.समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
2.समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश

विषयः— विलम्ब से परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में ।

—0—

मेरे पास ऐसे कई विद्यार्थी प्रवेश की अनुमति के लिये प्रदेश के दूरस्थ अंचलो से आये जिन्हें निर्देशो का अध्ययन करने पर स्थानीय तौर पर ही प्रवेश दिया जा सकता है । प्रवेश नियमो मे यह स्पष्ट है कि यदि किसी विद्यार्थी को पूरक आती है तो पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 15 दिन बाद तक उसे नियमित विद्यार्थी के रूप मे प्रवेश लेने का अधिकार है । यदि प्राचार्य को यह लगता है कि अत्याधिक विलम्ब के कारण संबंधित विद्यार्थी अपनी उपस्थिति पूर्ण नही कर पायेगा तो फिर ऐसी स्थिति मे प्रोविजनल प्रवेश देकर आगामी सत्र से नियमित विद्यार्थी के रूप मे पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था की जा सकती है ।

मे आशा करता हूँ कि अब इन स्पष्ट निर्देशो के बावजूद किसी भी विद्यार्थी को प्रदेश के दूरस्थ अंचलो से 700—800 किलोमीटर की दूरी पार कर आयुक्त के समक्ष उपस्थित न होना पड़े ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक 497 /आउशि/सेमेस्टर सेल/08 भोपाल,दिनांक 1/12/08

प्रतिलिपि :—

1. समस्त संभागीय आयुक्त,मध्यप्रदेश ।
2. समस्त कलेक्टर,मध्यप्रदेश ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,उच्च शिक्षा,म.प्र.